कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांक :– देव / सआ–I / निर्माण / 2019–20 / दिनांक :–

सूचना सहायक
आवक शाखा
क्रमांक 4731
दिनांक 26.6.19
25.6.19

–: ई–निविदा सूचना :–

इस कार्यालय के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर में स्थित आयुक्त, देवस्थान विभाग के कोर्ट कैम्प कार्यालय जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारो से जीर्णोद्वार / मरम्मत कार्य करवाया जाना है जिसकी अनुमानित लागत 5.53 लाख है। उक्त कार्यो के लिए ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। बोलीदाताओं को बिड फीस रूपये 1000 / – एवं बिड सिक्यूरिटी राशि रूपये 11060 / – का डी.डी. / बैंकर्स चैक जो सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर के नाम से देय हो तथा बिड प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 500 / – का डी.डी. जो MD RISL Jaipur के नाम से देय हो कार्यालय में जमा करवाने होंगे। बोली की संक्षिप्त सूचना निम्नानुसार है :–

कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि रूपये	बिड डॉक्यूमेन्ट डाउनलोड करने की तिथि	बिड डॉक्यूमेन्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	बिड सिक्योरिटी राशि, बिड फीस एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि
देवस्थान विभाग के कोर्ट कैम्प कार्यालय में मरम्मत / जीर्णोद्वार कार्य	5.53 लाख	11060	दिनांक 17.06.2019	दिनांक 02.07.2019 समय 6.00 पी.एम. तक	दिनांक 03.07.2019	दिनांक 02.07.19 समय 6.00 पी.एम. तक	तीन माह

नोट :–निविदा के दस्तावेजों का विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

सहायक आयुक्त (प्रथम),
देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांक :– देव / सआ–I / निर्माण / 2019–20 / 1699 दिनांक :– 17-6-19

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर को सूचनार्थ एवं निविदा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. श्रीमान सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
3. श्रीमान आयुक्त, नगर निगम जयपुर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
4. श्रीमान जिला कलक्टर, को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

सहायक आयुक्त (प्रथम),
देवस्थान विभाग, जयपुर

D/3/paras

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांक :– देव / सआ–I / निर्माण / 2019–20 / दिनांक :–

विषय :– इस कार्यालय के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर में स्थित आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के कोर्ट कैम्प कार्यालय जयपुर में जीर्णोद्वार एवं मरम्मत कार्य हेतु ई निविदा।

बोली प्रपत्र

क्र. सं.	बोली विवरण	महत्वपूर्ण तिथियां एवं राशि
1	बोली डॉक्यूमेन्ट का मूल्य	1000 / –रूपये का डी.डी. / बैंकर्स चैक सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर के नाम से, जो जयपुर में देय हो।
2	बिड सिक्यूरिटी राशि	11060 / –रूपये का डी.डी. / बैंकर्स चैक सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर के नाम से, जो जयपुर में देय हो।
3	RISL प्रोसेसिंग शुल्क	500 / –रूपये का डी.डी. / बैंकर्स चैक MD RISL Jaipur के नाम से, जो जयपुर में देय हो।
4	बिड डॉक्यूमेन्ट डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 17.06.2019
5	बिड डॉक्यूमेन्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 02.07.2019 समय 6.00 पी.एम तक
6	बिड सिक्योरिटी राशि, बिड फीस एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 02.07.2019 समय 6.00 पी.एम तक
7	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	दिनांक 03.07.2019
	कार्य पूर्ण करने की अवधि	तीन माह

नोट :–

1. बिड निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकिया के माध्यम से Two Stage (द्विभाग) पद्वति तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के रूप में अलग–अलग प्राप्त की जावेगी।
2. बिड संबंधी शर्ते एवं अन्य जानकारी सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर के नोटिस बोर्ड, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
3. बिड में वांछित समस्त प्रमाण पत्र एवं सूचनायें बिड डॉक्यूमेन्ट के साथ हस्ताक्षर कर बिडर्स द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन अपलोड करनी है।
4. बिडर्स द्वारा कार्य की दरें निर्धारित प्राईज–शिड्यूल में ऑनलाईन अंकित की जानी है।
5. निर्धारित समय एवं तिथि तक बोली प्रतिभूति राशि, बिड फीस, एवं RISL प्रोसेसिंग फीस के डी.डी. / बैंकर्स चैक प्राप्त नहीं होने पर ऐसे बिडर्स की बिड नही खोली जावेगी।
6. बिडर्स को अपना नाम तथा मोबाईल नम्बर, डी.डी. / बैकर्स चैक के पृष्ठ भाग पर लिखना अनिवार्य है। उक्त सभी डी.डी. / बैंकर्स चैक को भी स्कैन कर बिड़ डॉक्यूमेन्ट के साथ अपलोड किया जाना है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम ....

पता..

मो. / दूरभाष नं0..........................

D/3/paras

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांक :– देव/सआ–I/निर्माण/2019–20/ दिनांक :–

मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर में स्थित आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के कोर्ट कैम्प कार्यालय जयपुर में जीर्णोद्वार एवं मरम्मत कार्य हेतु ई निविदा।

बोलीदाता की तकनीकी योग्यताऐं

क. सं.	तकनीकी योग्यताऐं	वांछित प्रपत्र
1	बोलीदाता को किसी राजकीय विभाग/निगम/प्राधिकरण/बोर्ड/कॉरपोरेशन आदि में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।	राजकीय/विभाग/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/कॉरपोरेशन द्वारा जारी किये गये कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां बिड के साथ अपलोड की जानी है।
2	बोलीदाता फर्म को किसी राजकीय विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, प्राधिकरण, निगम द्वारा बिड अपलोड करने की तिथि से गत 3 वर्षो में ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिये।	50/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र बिड के साथ अपलोड करना है तथा मूल शपथ पत्र बिड सिक्यूरिटी फीस के साथ कार्यालय में जमा करवाना है।
3	बोलीदाता फर्म का तीन वित्तीय वर्षो 2015–16, 2016–17, 2017–18 का प्रतिवर्ष औसत टर्नओवर 25 लाख रूपये से अधिक होना चाहिये।	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित फाईनल अकाउन्टस की छायाप्रतियां तथा बैलेन्स शीट एण्ड टर्न ओवर सर्टिफिकेट सनदी लेखाकार (सी.ए.) से प्रमाणित होना चाहिये बिड के साथ अपलोड करने है।
4	बोलीदाता फर्म के विरूद्व वित्तीय वर्ष 2018–19 तक वेट, सर्विस टेक्स तथा जी.एस.टी बकाया नहीं होना चाहिये।	बोलीदाता को निविदा के साथ मार्च 2019 की जी.एस.टी. की रिटर्न की प्रतिलिपि अपलोड करनी है तथा साथ ही वित्तीय वर्ष 2018–19 तक कोई भी वेट, सर्विस टेक्स तथा जी.एस.टी फर्म पर बकाया नहीं होने के संबंध में 50/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र बिड के साथ अपलोड करना है तथा मूल शपथ पत्र बिड फीस के साथ कार्यालय में जमा करवाना है।
5	बोलीदाता के पास स्वयं का अथवा फर्म का पैन नम्बर तथा जी.एस.टी नम्बर होना चाहिये।	पैनकार्ड तथा जी.एस.टी नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर बिड के साथ अपलोड करनी है।
6	बोलीदाता सार्वजनिक निर्माण विभाग से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।	इसके लिये बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, उसका नवीनीकरण एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने है।

नोट :– बोलियां ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से Two Stage (द्विभाग) पद्वति तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के रूप में अलग–अलग प्राप्त की जावेगी। तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।

सहायक आयुक्त (प्रथम),
देवस्थान विभाग, जयपुर

D/3/paras

निविदा की शर्ते

1. बोलियां ऑनलाईन ई–प्रोक्योमेन्ट के माध्यम से Two Stage (द्विभाग) पद्वति तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोलीदाता को निर्धारित शुल्कों के बैंकर्स चैक/डी.डी. निश्चित तिथि व समय तक कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग जयपुर में जमा करवाने होंगे। इनके समय पर प्राप्त नहीं होने पर इनके अभाव में उनकी बिड नहीं खोली जावेगी।
3. सशर्त बोलियां स्वीकार नही की जावेगी।
4. कार्य की अनुमानित लागत 5.53 लाख रूपये हैं जिसे आवश्यकतानुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
5. निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के सात कार्य दिवसों में सफल बोलीदाता को 1400/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा।
6. निविदादाताओं को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कर कटौती करने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
7. निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी।
8. अनुबन्धकर्ता द्वारा नियोजित कार्मिकों को श्रम विभाग के नियमानुसार निर्धारित पारिश्रमिक दिये जाने का दायित्व स्वयं अनुबन्धकर्ता का होगा।
9. संविदा अवधि में अनुबन्धकर्ता एवं विभाग के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार उदयपुर का निर्णय अंतिम होगा।
10. बोली खुलने के पश्चात बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गई दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा अनुबन्ध की समाप्ति से होने वाली राजस्व हानि सफल बोलीदाता से वसूली कर ली जावेगी।
11. बोलीदाता की फर्म का पूर्ण पता, टेलीफोन/मोबाईल नम्बर बोली प्रपत्र में यथा स्थान अंकित करना होगा। अनुबन्ध अवधि में टेलीफोन/मोबाईल/पते आदि में परिवर्तन की स्थिति में तुरन्त कार्यालय को सूचित करना होगा।
12. निविदा की सभी शर्तो की पालना बोलीदाता द्वारा की जायेगी। उनके द्वारा किसी भी शर्त अथवा आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो अनुबन्ध निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है तथा फर्म को DEBAR भी किया जा सकता है।
13. अनुबन्ध समाप्ति पश्चात अमानत राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम प्राप्त दर को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नही है।
15. अनुबन्धकर्ता को कार्य आरम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति के पश्चात की रंगीन फोटोग्राफी कर फोटो प्रस्तुत करनं होंगे।
16. कार्यस्थल पर किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां व कार्य में अनियमितता पाये जाने पर विभाग द्वारा निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा अमानत राशि जब्त करते हुए अनुबन्धकर्ता के विरूद्व कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
17. बोलीदाता द्वारा अपलोड किये गये प्रत्येक प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर (फर्म की मोहर सहित) किया जाना आवश्यक है।

D/3/paras

18. संवेदक के भुगतान बिलों से कटौती की गई 10 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट राशि संतोषजनक कार्य समाप्ति के छः माह पश्चात अथवा एक पूर्ण वर्षाकाल समाप्त होने के पश्चात जो भी बाद में हो लौटाई जायेगी।
19. निविदा के साथ Annexure A B C D हस्ताक्षर कर बिड के साथ अपलोड करने आवश्यक है।
20. अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद शीघ्र ही सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य में निरन्तर गतिशीलता बनाये रखना आवश्यक होगा तथा कार्य निर्धारित समय अथवा उससे पूर्व सम्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. कार्यस्थल पर किसी प्रकार की टूटफूट होने अथवा दुर्घटना होने पर विभाग का उत्तरदायित्व नही होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता फर्म की होगी। सभी न्यायिक/श्रम नियम अन्य नियमों की पालना का उतरदायित्व भी अनुबन्धकर्ता का ही होगा। विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नही होगा।
22. निर्माण कार्य में निर्धारित गुणवता स्तर बनाये रखा जाना अनिवार्य है इसलिये मापदण्डों के अनुसार सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर फर्म के विरूद्व निर्धारित प्रकिया के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
23. किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत की राशि तथा तकमीने से हटकर अधिक कार्य नही किया जावेगा तथा न ही अन्य आईटम मद में कार्य किया जावेगा। ऐसा करने पर अतिरिक्त कार्य फर्म द्वारा स्वेच्छा से किया गया कार्य माना जावेगा जिसका कोई कोई भुगतान देय नही होगा। यदि विशेष परिस्थितियों में अन्य आईटम मद में कार्य किये जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो कार्य करने से पूर्व सक्षम लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
24. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकते है।
25. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा स्वीकृति आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान/राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

D/3/paras